वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान रुग्ण सूक्ष्म और लघु उपक्रमों (पुनरुज्जीवन और पुनर्वास) स्कीम, 2015 में यथा परिभाषित किसी रुग्ण उपक्रम की स्थावर सम्पत्ति के, ऐसे उपक्रम के पुनरुज्जीवन के प्रयोजन के लिए, अन्तरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का, उक्त स्कीम के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी रुग्णता प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना 10.11.2015 से प्रवृत्त होगी किन्तु पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-114]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of transfer of immovable property of a sick enterprise as defined in the Rajasthan Sick Micro and Small Enterprises (Revival and Rehabilitation) Scheme, 2015 for the purposes of revival of such enterprise shall be remitted on submission of certificate of sickness, before the Registering Officer, issued by the appropriate authority under the said Scheme.

This notification shall have effect from 10.11.2015 but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-114]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government